न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र 3जी (5) संख्याः 25/2019

दायर दिनांकः 09.07.2019

आदेश दिनांक 05.03.2020

—:अनवानः—

श्री केशर सिंह पिता निर्भय सिंह चौहान, उम्र 48 वर्ष निवासी मानखण्ड, तहसील मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाडा

विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम प्रार्थनापत्र आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 प्रकरण संख्या 25/2016 बअनवान केशरसिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुपालना कराने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की राजस्व ग्राम जावद तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 861,862,863 को भूमि अवाप्ति मे सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि को प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण राजसमन्द द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर भूमि रूपान्तरण आदेश मिसल संख्या 35/97 पट्टा संख्या 168/97 दिनांक 24.03.97 को भूमि के खातेदार रामचन्द्र पिता हरकिशन जी भील वगैरा के पक्ष में जारी किया गया। उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि में से मुझ प्रार्थी द्वारा दो भूखण्ड के रूप में अलग अलग विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया गया हैं। एक भूखण्ड 2070 वर्गफिट जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1997 प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया हैं। भुखण्ड को वाणिज्यिक रूपान्तरण कराने हेतु प्रार्थी द्वारा नगरपालिका राजसमन्द में रूपान्तरण की कार्यवाही की गई और उक्त भूखण्ड में तामील स्वीकृति चाही गई जिस पर नगरपालिका राजसमन्द द्वारा उक्त भूमि को वाणिज्यिक रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए प्रार्थी को तामीर स्वीकृति दिनांक 18.12.2014 को प्रदान की जिस पर प्रार्थी ने

अपने जीवन की बहूमूल्य कमाई को उक्त भूखण्ड में लगाते हुए व उच्च क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हुए 4 दुकाने निर्मित की गई व उस पर होटल निर्मित की जा रही थी और प्रार्थी द्वारा 50 लाख रूपये निर्माण में खर्च किये जा चुके हैं। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आप न्यायालय में विपक्षी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 01.02.2016 को चुनौति देते हुए उक्त अवार्ड में अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर आप न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 10.01.2019 को यह आदेश पारित किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिये है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 25/2016 केशरसिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मे पारित आदेश दिनांक 10.01.2019 की पालना हेतु विपक्षी संख्या 01 को निर्देशित किया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 के यहां पर दिनांक 25. 02.2019 को अपना क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के अवाप्तशुदा भूखण्ड उस पर निर्मित दूकाने मकान संरचना का मुआवजा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर जोन 43 अनुसार वाणिज्यिक भूमि की दर 550/–रूपये तथा आवासीय भूमि की दर 340/–रूपये का उल्लेख करते हुए संशोधित अवार्ड भूमि के लिए 11,38,500/–रूपये संरचना के लिए 15,45,154/–रूपये कुलीया 26,83,654/–रूपये तथा इस पर तोषण राशि के रूप में गुणांक 1.75 के अनुसार 47,96,394/–रूपये तथा अवाप्ति दिनांक 04.10.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की मांग की गयी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2019 को संशोधित अवार्ड जारी करने के लिए प्रतिवेदन पेश करने के उपरान्त भी संशोधित अवार्ड व भुगतान भी जारी नहीं किया गया । इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति होना स्वीकार है। जिसमें विपक्षीगण द्वारा भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की जाकर नियमानुसार प्रार्थीगण को भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा आवासीय भूमि का क्लेम पेश करने से आवासीय भूमि का निर्धारित डी0एल0सी0 दर अनुसार भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी ने निर्धारित डी0एल0सी0 दर से मुआवजा तय कर विधिवत अवार्ड जारी कर RFCTLARR,ACT 2013 के तहत भुगतान किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के अनुरूप कार्यवाही कर संशोधित अवार्ड जारी कर भुगतान किया जा चुका है। तथा मुआवजा राशि के साथ निर्धारित ब्याज की राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही विपक्षी ने निर्धारित डी0एल0सी0 दर से संशोधित अवार्ड जारी कर मुआवजा तय कर RFCTLARR,ACT 2013 के तहत भुगतान कर दिया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी को अवाप्त भुमि का संशोधित अवार्ड नियमानुसार RFCTLARR,ACT 2013 के तहत चैक संख्या 000062–63 दिनांक 04. 02.2019 द्वारा शुद्ध राशि 18,62,220/–रूपये निर्धारित डी0एल0सी0 दर अनुसार भुगतान किया जा चुका है।

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 25/2016 केशरसिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मे पारित आदेश दिनांक 10.01.2019 की पालना मे विपक्षी संख्या 01 को निर्देशित किया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 के यहां पर दिनांक 25.02.2019 को अपना क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संशोधित अवार्ड जारी करने के लिए प्रतिवेदन पेश किया। उसके उपरान्त भी संशोधित अवार्ड व भुगतान राशि को जारी नहीं किया गया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे दिये गये तथ्यो को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त भूमि का मुआवजा नियमानुसार निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को अवाप्त भुमि का संशोधित अवार्ड नियमानुसार RFCTLARR,ACT 2013 के तहत चैक संख्या 000062–63 दिनांक 04.02.2019 द्वारा शुद्ध राशि 18,62,220/–रूपये निर्धारित डी0एल0सी0 दर अनुसार भुगतान किया जा चुका है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन विचार किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेश की अनुपालना में प्रार्थी को RFCTLARR, ACT 2013 के अनुसार मुआवजा जरिये चैक संख्या 000062–63 दिनांक 04.02.2019 से भुगतान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)